

कार्यालय उप निबंधक सदर तृतीय आगरा जनपद आगरा

आवेदन संख्या : 202500301807

प्रमाण संख्या : 22025003003 : 40

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री. सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट पुत्र ० तहसील आगरा जिला आगरा ने निम्नलिखित सम्पत्ति में सम्बन्धित प्रपत्रों द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथमिक पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति का विवरण ग्राम मोहल्ला - राजपुर, वार्ड परगना, ताजगंज वार्ड, आवासीय, जराक यूनाईटेड प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर नवीन कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम चन्द व अंतिम अग्रवाल पत्नी श्री नवीन कुमार निवासी पतिया कला लखीमपुर खीरी, जमीन खसरा संख्या 433/2 क्षेत्रफल 795.69 वर्गमीटर वाके राजपुर तहसील व जिला आगरा ,

मे एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि ईन्डेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 17/07/2013 से दिनांक 17/07/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक 21-07-2025 : नोट - 1 इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्योरे के आधार पर दूँडे गए है। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा नोट - 1 इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्योरे के आधार पर दूँडे गए है। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा

आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।

2 वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

4 यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

5 'प्रथम पक्ष' से तात्पर्य बंधक कर्ता से है और 'द्वितीय पक्ष' से तात्पर्य बन्धकी से है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : अखिलेश कुमार सक्सेना ।

मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : ।

RAKESH
KUMAR
YADAV

Digitally signed by
RAKESH KUMAR
YADAV

Date: 2025.07.21

10:45:14 +05'30'

उप निबंधक सदर तृतीय
आगरा

सेवा में

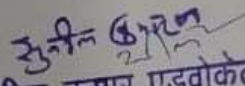
श्रीमान् अधिकृत प्राधिकारी महोदय

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण लखनऊ, उ०प्र०

Non Incumbrance Certificate

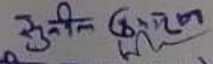
to Whom So ever it my Concern

प्रमाणित किया जाता है कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के व्यवसायिक भूखण्ड के निर्माण कार्य हेतु जनपद आगरा के मौजा राजपुर खसरा संख्या 433/2 व नगर निगम नम्बर 31/167, की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पक्ष में अधिगृहित एवं कब्जा प्राप्त है और उक्त भूमि सभी प्रकार के शुल्कों, देनदारियों, गिरवी और सभी प्रकार की कुर्की/जब्ती से पूरी तरह मुक्त है।


सुनील कुमार एडवोकेट
सुनील कुमार तहसील सदर आगरा
एडवोकेट तहसील सदर जिला आगरा।

घोषणा

मैं उ०प्र० बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हूँ, मेरा पंजीकरण संख्या 8737
है और जिला आगरा में वर्ष 2003 से नियमित रूप से वकालत कर रहा हूँ।


सुनील कुमार एडवोकेट
तहसील सदर आगरा

कार्यालय उप निबंधक सदर तृतीय आगरा जनपद आगरा

आवेदन संख्या :2202500302674

प्रमाण संख्या :22025003002544

भार मुक्त प्रमाण-पत्र (रजि० मैनुअल के नियम 328)

श्री. सत्येन्द्र कुमार अग्रवाल एडवोकेट पुत्र- ० तहसील आगरा जिला आगरा ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/ द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति : ग्राम/मोहल्ला - राजपुर, वार्ड/परगना- ताजगंज वार्ड, आवासीय- मदन लाल शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुरु
का : गोविन्द नगर राजपुर चुंगी तहसील व जिला आगरा, भूखण्ड, क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर खसरा सं० 433/2 का भाग व
विवरण : न०नि०न० 31/167 वाके राजपुर आगरा के 10 प्रतिशत भाग 17.50 वर्गमी० पूरब-रास्ता 20 फीट चौड़ा पश्चिम-
जायदाद दीगर उत्तर-जमीन दीगर दक्षिण-सड़क शमशाबाद रोड ,

मे एतलद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं० 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 30/09/2013 से दिनांक 30/09/2025 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक :04-10-2025

- नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँदिए गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति की आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।
5. 'प्रथम पक्ष' से तात्पर्य बंधक कर्ता से है और 'द्वितीय पक्ष' से तात्पर्य बन्धकी से है।

RAKESH
KUMAR
YADAV

Digitally signed by
RAKESH KUMAR
YADAV
Date: 2025.10.04
12:52:33 +05'30'

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक : अखिलेश कुमार सक्सेना।
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक : :।

उप निबंधक सदर तृतीय
आगरा

सेवा में

श्रीमान् अधिकृत प्राधिकारी महोदय

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण लखनऊ, उ०प्र०

Non Incumbrance Certificate to Whom So ever it my Concern

प्रमाणित किया जाता है कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के व्यवसायिक भूखण्ड के निर्माण कार्य हेतु जनपद आगरा के मौजा राजपुर खसरा संख्या 433/2 व नगर निगम नम्बर 31/167, की 20 प्रतिशत (मदन लाल शर्मा) भूमि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के पक्ष में अधिगृहित एवं कब्जा प्राप्त है और उक्त भूमि सभी प्रकार के शुल्कों, देनदारियों, गिरवी और सभी प्रकार की कुर्की जब्ती से पूरी तरह मुक्त है।

सुनील कुमार
सुनील कुमार एडवोकेट
तहसील सदर आगरा
सुनील कुमार एडवोकेट
तहसील सदर जिला आगरा।

घोषणा

मैं उ०प्र० बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हूँ, मेरा पंजीकरण संख्या ११३३/१९३ है और जिला आगरा में वर्ष२१..... से नियमित रूप से वकालत कर रहा हूँ।

सुनील कुमार
सुनील कुमार एडवोकेट
तहसील सदर आगरा